न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:– श्री अयूब खांन (आर.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 28/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. अमितसिंह कच्छवाह निवासी अटबड़ा तहसील सोजत जिला पाली (राज0)		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सोजत जिला पाली (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 सीपीसी बाबत रिव्यू प्रार्थना पत्र

उपस्थित:–

1. श्री सोहनलाल गौराणा अधिवक्ता मय प्रार्थी ।

–: निर्णय :–

दिनांक:– 26.09.2018

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 बाबत रिव्यू प्रा0पत्र दि0 23.07.2017 को इस आशय का पेश किया कि अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251(क) विरूद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा अटबड़ा तहसील सोजत में स्थित खसरा न 1138, 1139, 1156 कुल किता 3 कुल रकबा 2.1400 हैक्टर बारानी दोयम व गैर मुमकिन रास्ता आबादीक की भूमि धारण कर रहे खातेदारी अभिधारी है, और अपने जोत में पहुंचने के लिए खसरा नंबर 1160 रकबा 14.2500 हैक्टर गैर मुमकिन मगरा में से 30 फुट चौडा रास्ते के रूप में ग्राम अटबड़ा पटवार हल्का अटबड़ा तहसील सोजत की राजकीय भूमि में नया मार्ग खातेदारी खसरा नंबर 1138, 1139, 1156 में आने अर्थात आवागमन हेतु आशय रखते है। इसलिए राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251(2) की उप धारा 2 के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन पेश किया है तथा रास्ते हेतु उक्त सरकारी भूमि खसरा नबंर 1160 में से 30 फुट चौड़ा रास्ते की भूमि दिलाये जाने की इस्तदुआ की है। इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिसेज वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। उक्त प्रकरण में तहसीलदार सोजत ने अपना जवाब पेश किया तथा उक्त पत्रावली न्याय आपके द्वारा 2018 में आयोजित राजस्व लोक अदालत कैम्प अटबड़ा में दिनांक 01.05.2018 को पेश हुई, तथा तहसीलदार सोजत ने अपने जवाब के साथ ही स्वविवेक से मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पटवारी के अनुसार रास्ता 5.5 मीटर यानि 17–18 फुट कम चौड़ाई का रास्ता बताकर पेश किया, जो रास्ता अपर्याप्त है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु 30 फुट चौड़े रास्ते की आवश्यकता है, व 30 फुट चौड़े रास्ते की मांग की, पटवारी ने सेव/गलती से 5.5 मीटर चौड़ा रास्ता अर्थात 17–18 फुट का ही बताकर रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश कर दिया, जिसके आधार पर दिनांक 01/05/2018 को निर्णय पारित कर दिया। खसरा नंबर 1160 गैर मुमकिन मगरा का रकबा 14.25 हैक्टर है तथा उक्त मगरा के आगे व पीछे प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु मौके पर 30 फुट चौड़ा रास्ता मौजूद है। प्रार्थी को उक्त तथ्य की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 23.07.2018 को पत्रावली मय निर्णय की प्रति लेने पर जानकारी हुई.

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

इससे पूर्व प्रार्थी को उक्त प्रकरण में निर्णय की कोई जानकारी नही थी, जिस हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र अलग से पेश किया है। प्रार्थी ने निर्णय दिनांक 01.05.2018 के विरुद्ध कोई अपील पेश नही की है। अतः रिव्यू प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन किया है कि उक्त प्रकरण में 30 फुट चौड़ा रास्ता खसरा नंबर 1160 किस्म गैर मुमकिन मगरा में से दिये जाने का आदेश प्रदान करावे। जिस हेतु प्रार्थी 30 फुट चौड़े रास्ते हेतु नियमानुसार शुल्क अदा करने हेतु तैयार है। इस पर प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 से सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 रिव्यू प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत को वास्ते जबाब प्रा0पत्र तलब किया गया। उक्त रिव्यू प्रा0पत्र का अप्रार्थी तहसीलदार सोजत ने जवाब प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा अटबड़ा में स्थित खसरा नम्बर 1135, 1139, 1156 रकबा 2.14 हैक्टेयर भूमि व गैर मु0रास्ता औद्योगिक की भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि है अपनी जोत मे पहुंचने के लिए खसरा नम्बर 1160 रकबा 14.25 हैक्टेयर गैर मु0 मगरा में से 30 फुट चौड़ा रास्ता दिलाने बाबत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) पेश किया है। न्याय आपके द्वार 2018 केम्प दिनाक 01.05.2018 को प्रार्थी ने इसी आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रास्ता चाहा गया था जिसके कम मे न्यायालय हाजा से दिनांक 01.05.2018 को निर्णय पारित कर ग्राम अटबड़ा के खसरा नम्बर 1160 रकबा 14.25 हैक्टेयर में से 18 फुट चौडा रास्ता दिया गया जिसका रकबा 0.0352 हैक्टेयर रास्ता प्रयोजनार्थ राजस्व रेकर्ड में आरक्षित किया गया तथा नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम किया गया। प्रार्थी ने उक्त भूमि में 30 फुट चौड़े रास्ते की आवश्यकता को देखते हुए तथा मौके पर मौजूद 30 फुट चौड़ा रास्ता होने से पुनः रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तथा प्रार्थी 18 फुट के स्थान पर 30 फुट रास्ता चाहता है। वर्तमान में मौके पर रास्ता 30 फुट चौडा है। पूर्व आदेशानुसार नक्शा लट्ठा में तरमीम के अनुसार रास्ता 64 मीटर लम्बाई व 5.5 मीटर चौड़ाई में है जिसका ख0नं0 1160/1 रकबा 0.0352 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज हे। मौके पर वर्तमान में रास्ते की लम्बाई 64 मीटर व चौडाई 9.15 है जिसका रकबा 0.0586 हैक्टेयर बनता है, का नजरी नक्शा मय रिपोर्ट संलग्न है। अतः पूर्व में ख0नं0 1160 रकबा 14.25 हैक्टेयर में से 18 फुट चौड़ा रास्ता आरक्षित किया गया तथा रेकर्ड में दर्ज है, इस प्रकार जवाब प्रा0पत्र अप्रार्थी तहसीलदार सोजत मय पटवारी हल्का–अटबडा की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश है जो मौके अनुसार 30 फुट चौड़ा है अर्थात 12 फुट चौड़ा रास्ता और आरक्षित किया जाता है तो तहसीलदार, सोजत कोई आपत्ति नहीं है।

वकील मय प्रार्थी ने पूर्व में दिनॉक 03.04.2018 को प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेज अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वह मौजा अटबड़ा, तहसील – सोजत में स्थित ख0नं0 1135, 1139, 1156 कुल किता 3 रकबा 2.1400 है0 बा0 दो0 व गै0 मु0 औधोगिक की भूमि धारण कर रहे खातेदार अभिधारी है और अपने जोत मे पहुंचने के लिए खसरा नंबर 1160 रकबा 14.2500 हैक्टर गै0 मु0 मगरा में से 30 फुट चौड़ा रास्ते के रूप में ग्राम अटबड़ा पटवार हल्का अटबड़ा तहसील सोजत की राजकीय भूमि मे नया मार्ग खातेदारी खसरा नंबर 1135, 1139, 1156 में आने जाने अर्थात् आवागमन हेतु आशय रखते है। इसलिए हम राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

251 (2) की उप धारा 2 के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन पेश किया है तथा रास्ते हेतु उक्त सरकारी भूमि ख0नं0 1160 में से 30 फुट चौडा रास्ते की भूमि दिलाये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिसेज वास्ते जवाब प्रा0 पत्र तलब किया गया।

दिनांक 01.05.2018 को पत्रावली राज्य सरकार द्वारा न्याय आपके द्वार 2018 कार्यक्रम में आयोजित राजस्व लोक अदालत/कोर्ट केम्प– अटबड़ा पर पेश होने पर तहसीलदार, सोजत ने उक्त प्रकरण में प्रस्तुत जबाब एवं मौका रिपार्ट मय नजरी नक्शा एवं डी0 एल0 सी0 दर की सूचना प्रस्तुत की, कि ग्राम अटबडा की कृषि भूमि ख0 न0 1135 रकबा 0.76 है0 किस्म बारानी दोयम प्रार्थी की खातेदारी भूमि राजस्व रेकर्डानुसार दर्ज खसरे पर पहुचने के लिए मुख्य सड़क से ख0 न0 1139/4 रकबा 0.1000 गै0 मु0 रास्ता, ख0 न0 1140/1 रकबा 0.0500 है0 गै0 मु0 रास्ता होकर जाता है । खसरा नंबर 1140/1 जहां से रास्ता समाप्त होता है उसके आगे सरकारी खसरा न0 1160 रकबा 14.25 है0 किस्म गै0 मु0 मगरा से होकर खसरा नंबर 1135 तक पहुंच जाता हैं। प्रार्थी द्वारा चाहा गया प्रस्तावित रास्ता सरकारी भूमि में से है। ख0 न0 1160 रकबा 14.25 हैं0 गै0 मु0 मगरा राजस्व रैकर्ड में दर्ज हैं। खसरा न0 1135 तक पहूँचने का अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता 5.5 मीटर X 64 मीटर रकबा 0.0352 है0 भूमि होती है। यदि उक्त रास्ते की भूमि दी जाती है तो राज्य सरकार का हित प्रभावित होगा। इस प्रकार जबाब पेश कर उक्त प्रार्थना-पत्र सरकारी हित प्रभावित होने से पोषणीय नहीं होना अंकित किया है। प्रा0 पत्र में वर्णित तथ्यो की जॉच करवाई जाकर तथ्यात्मक मौका एवं वस्तुस्थिति/ रिपोर्ट एवं उप पंजीयक सोजत से D.L.C. सूचना प्रस्तुत हुई, शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार एवं उप पंजीयक सोजत ने अपने पत्र दिनांक 01.05.2018 तथा संलग्न पटवारी हल्का–अटबडा की राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थिति की जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार, सोजत ने उक्त वस्तुस्थिति की प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों की तथा राजस्व रेकर्ड व मौका रिपोर्टानुसार मौजा– अटबड़ा की खसरा नबर 1160 रकबा 14.2500 हैक्टर किस्म गै0 मु0 मगरा सिवाय चक राजस्थान सरकार राजस्व रिकर्ड में दर्ज हैं। प्रार्थी अमितसिंह कच्छवाह की खातेदारी भूमि मौजा– अटबड़ा तहसील सोजत में स्थित खातेदारी भूमि ख0 न0 1135 में आने जाने अर्थात् आवागमन हेतु ख0 न0 1139/4 व 1140/1 में से होते हुए खसरा नंबर 1160 में से रास्ता प्रार्थी चाहता है। मौके पर ख0 नं0 1160 में से प्रार्थी की प्रार्थित भूमि तक आवागमन हेतु रास्ता बना हुआ है उक्त रास्ता लम्बाई 64 मी0 X 5.5 मी0 = कुल रकबा 0.0352 हैक्टर में बना हुआ है। उक्त मौका रिपार्ट मय नजरी नक्शा में लाल स्याही से अंकित ए से बी रास्ते की भूमि है। प्रस्तावित ए से बी के अलावा अन्य कोई वेकल्पिक रास्ता नहीं हैं अर्थात् वैकल्पिक साधन का अभाव होना अंकित किया है। मौजा – अटबड़ा की डी0 एल0 सी0 दर अधिकतम 2763/–रू0 प्रति एयर एवं न्यूनतम 1521/– रू0 प्रति एयर होना अंकित किया हैं।

तहसीलदार, सोजत द्वारा प्रस्तुत मौका स्थिति एवं डी0 एल0 सी0 दर की सूचना अनुसार मौजा ग्राम अटबड़ा की खसरा नम्बर 1135, 1139, 1156 रकबा 2.1400 किस्म बा० दो० अमितसिहं पुत्र राजेन्द्रसिंह कच्छवाह कौम–माली निवासी अमितराज लाईम केमिकल, अटबडा तह0 सोजत खातेदार दर्ज है। प्रार्थी ने ग्राम अटबड़ा की स्वयं की खातेदारी भूमि में जाने हेतु ग्राम

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

अटबड़ा के राजकीय भूमि ख.न. 1160 में से 30 फीट चौड़ा रास्ता चाहा है। ग्राम अटबड़ा के ख.न. 1160 गै.मु. मगरा सिवाय चक भूमि है, मौके पर रास्ता चालू है। प्रार्थी को रास्ता हेतु (5.5 मी0 X 64 मी0 = रकबा 0.0352 है0 अर्थात 3.52 एयर) भूमि DLC दर अनुसार दी जा सकती है। तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्टानुसार एवं वस्तुस्थिति रिपोर्टानुसार मौजा – अटबड़ा की अधिकतम व न्यूनतम क्रमशः DLC दर 2763/– एवं 1521/– रूपये प्रति एयर होना अंकित किया है तथा राजकीय भूमि रास्ते हेतु प्रार्थी को दिए जाने की अभिशंषा अंकित की गई।

पत्रावली में दिनॉक 01.05.2018 को आयोजित राजस्व लोक अदालत अटबड़ा में मजमा--ए--आम में सुनवाई की जाकर तत् समय पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये राजस्व रेकर्ड तहसीलदार सोजत की अभिशंषा रिपोर्ट व DLC दर आदि का अवलोकन करने पर मुख्य रूप से प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि मौजा अटबड़ा की खातेदारी खसरा नम्बर 1135, 1139, 1156 की भूमि में आने जाने हेतु राजकीय सिवाय चक भूमि ख0नं0 1160 मे से (5.5 मी0 X 64 मी0 = रकबा 0.0352 हैक्टर) उपलब्ध कराने का अनुतोष होने से पटवारी हल्का से वादग्रस्त भूमि तथा आस–पास की स्थिति का मुआयना कर प्रस्तुत नजरी नक्शा बहस अधिवक्ता प्रार्थी व तहसीलदार, सोजत सुनी गई। नजरी नक्शा मे वादग्रस्त भूमि के आस–पास की स्थिति का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होने पर कि वादग्रस्त भूमि में आवागमन का कोई वैकल्पिक मार्ग नही है। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नही है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहुँच के वैकल्पिक मार्ग का पूर्णतः अभाव सिद्ध हुआ है। अतः प्रार्थी को राजकीय सिवाय चक भूमि 1160 में से माफिक नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शित ए से बी मार्क लम्बाई 64 मीटर X चौडाई 5.5 मीटर = कुल रकबा 0.0352 है0 अर्थात् 3.52 एयर सिवाय चक गै0 मु0 मगरा की भूमि उपलब्ध करवाया जाना नितान्त आवश्यक है, जिससे कि रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण की कृषि सक्रियाएं बाधित न हो। लिहाजा प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाना तथा डी.एल.सी. की दुगनी राशि अधिकतम दर 2763/– रू0 प्रति एयर से 0.352 है0 अर्थात् 0352 वर्गमीटर (3.52 एयर X 2763 X 2= 29452/–रू0(अक्षरे उनतीश हजार चार सौ बावन रू0 मात्र) अप्रार्थी को राजकीय मद मे जरिए चालान जमा करवाई जाकर भूमि उपलब्ध करवाया जाना उचित समझते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार किया गया। सरहद मौजा अटबड़ा पटवार हल्का अटबड़ा तहसील सोजत मे स्थित प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 1135, 1139, 1156 में आवागमन हेतु खसरा नं0 1135 तक पहुचने हेतु मुख्य सड़क से ख0 नं0 1139/4 रकबा 0.1000 हैक्टर गै0 मु0 रास्ता व ख0 नं0 1140/1 रकबा 0.0500 हैक्टर गै0 मु0 रास्ता से होकर जाता है तथा जहां रास्ता समाप्त होता है, के आगे सरकारी ख0 नं0 1160 रकबा 14.25 हैक्टर किस्म गै0 मु0 मगरा से होकर ख0 नं0 1135 तक पहुंच जाता है। ख0 नं0 1135 में पहुँचने का अन्य कोई विकल्प नहीं होने से उक्त ख0 नं0 1160 रकबा 14.25 हैक्टर गै0 मु0 मगरा की भूमि में से लम्बाई 64 मीटर X चौड़ाई 5.5 मीटर = 0.0352 है0 अर्थात 3.52 एयर गै0

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

गै0मु0 मगरा की भूमि रास्ते हेतु दिये जाने हेतु व भूमि की अधिकतम डी0एल0सी0 दर 2763/– रूपये प्रति एयर की दर से 0.0352 हैक्टर अर्थात 0352 एयर X 2763 X 2 गुणा = 29452/– रूपये (अक्षरे उनतीस हजार चार सौ बावन रूपये मात्र) जरिए चालान राज्य मद में जमा करवाई जाकर मूल चालान प्रस्तुत करने पर उक्त भूमि का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद/तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया गया।

रिव्यू प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 पर बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार, सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय में 5.5 मीटर अर्थात 17–18 फुट रास्ता ख0नं0 1160 गै0मु0 मगरा में से दिये जाने के आदेश दिये जबकि प्रार्थी द्वारा 30 फुट चौड़ा रास्ता चाहा गया। उक्त रास्ते के आगे व पीछे मौके पर 30 फुट रास्ता मौजुद है। जिसकी जानकारी निर्णय की प्रति प्राप्त होने पर हुई, फलस्वरूप धारा 5 म्याद अधिनियम प्रा0पत्र स्वीकार किये जाने की ईश्तदुआ की है। अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि उक्त 5.5 मीटर (17–18 फुट) चौडा रास्ता दिया गया जबकि मौके पर निजी खातेदारी की भूमि में 30 फुट रास्ता मौजुद होने से प्रदत रास्ते एवं प्रा0पत्र का उपयोग/मकसद ही नही रह जाता है। चूँकि मौके व राजस्व रेकर्ड की तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तुत जबाब व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार वर्णित तथ्यो की संपुष्टि हो चुकी है तथा मौके पर वर्तमान में रास्ते की लम्बाई 64 मीटर व चौड़ाई 9.15 मीटर (30 फुट) जिसका रकबा 0.0586 हैक्टर भूमि रास्ते हेतु दिये जाने में कोई आपति नहीं की है, अर्थात सहमति अंकित की है। फलस्वरूप रिव्यू प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 229 आर0टी0एक्ट0 मय धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार किये जाने तथा उक्तानुसार रास्ता दिये जाने की ईश्तदुआ की है। जिसके जवाब बहस में तहसीलदार, सोजत ने कोई आपति नही कर निर्धारित मद में भूमि प्रतिकर राशि जमा होने पर रास्ता 30 फुट चौड़ा दिये जाने में स्वीकारोक्ति व्यक्त की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत रिव्यू प्रा0पत्र, जबाब अप्रार्थी तहसीलदार सोजत मय मौका रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा, पूर्व प्रदत निर्णय दि0 01.05.2018 न्यायालय हाजा से सम्बद्ध मूल पत्रावली राजस्व प्रा0पत्र संख्या 28/2018 अमितसिंह बनाम तहसीदार, सोजत का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत उभय पक्ष पर गौर कर मनन भी किया गया। धारा 5 म्याद अधिनियम प्रा0पत्र में वर्णित कारण युक्तियुक्त होने से स्वीकार किया जाता है तथा निर्णय दिनॉक 01.05.2018 से रिव्यू प्रा0पत्र प्रस्तुत करने की अवधि को कण्डोन किया जाता है। वस्तुतः न्यायालय हाजा द्वारा प्रदत निर्णय दिनॉक 01.05.2015 में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर0टी0एक्ट0 1955 में निजी कृषि जोत में आने जाने अर्थात आवागमन हेतु 30 फुट चौड़ा रास्ता की मांग की गई है किन्तु जवाब प्रा0पत्र एवं मौका रिपोर्ट तहसीलदार, सोजत मे सदभाविक भूलवश 5.5 मीटर (17–18 फुट) चौड़ा रास्ता को ही उल्लेखित किया गया। जबकि आगे व पीछे की खातेदारी भूमि में रिव्यू प्रा0पत्र के जबाब व मौका रिपोर्ट दिनॉक 25.07.2018 में 30 फुट रास्ता मौके पर होना स्पष्ट रूप से अंकित कर अनापति व्यक्त की है। मौके पर पूर्व से चालू 9.15 मीटर (30 फुट) चौड़ा रास्ता के परिपेक्ष्य समानान्तर 5.5 मीटर (17–18 फुट) का अपर्याप्त रास्ता दिये जाने पर रास्ते की उपयोगिता बाधित होगी तथा ख0नं0

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

1160 रकबा 14.25 हैक्टर में से 9.15 मीटर (30 फुट) रास्ता दिये जाने पर प्रतिकर राशि जमा करवाने हेतु अधिवक्ता मय प्रार्थी तत्पर/सहमत है। लिहाजा रिव्यू प्रा0पत्र अधिवक्ता प्रार्थी स्वीकार किया जाना तथा प्रार्थित ख0नं0 1160 में से 9.15 मीटर (30 फुट) रास्ते हेतु अधिकतम डी0एल0सी0 की प्रस्तुत दर 2763 की दो गुणा प्रतिकर राशि लम्बाई 64मीटर X चौड़ाई 9.15 मीटर = 0.0586 हैक्टर की भूमि (05.86 एयर X 2763 X 2 = 32382/–रूपये प्रतिकर राशि जमा करवाकर) रास्ते हेतु दिये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया जाना उचित समझते है।

:–आदेश–:

अतः उक्त विवेचनो के आधार पर अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा–अटबड़ा तहसील–सोजत में स्थित प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 1135, 1139 व 1156 में आवागमन अर्थात 1135 की भूमि तक पहुँचने हेतु मुख्य सडक से निजी खातेदारी भूमि में अवस्थित 30 फुट मौके पर स्थित रास्ते के आगे मौजा–अटबड़ा की सरकारी भूमि ख0नं0 1160 रकबा 14.25 हैक्टर गै0मु0 मगरा की भूमि में से पूर्व निर्णय दिनांक 01.05.2018 न्यायालय हाजा द्वारा प्रदत रास्ते की भूमि लम्बाई 64 मीटर X चौड़ाई 5.5 मीटर = 0.0352 हैक्टर (03.52 एयर) के स्थान पर अब पर्याप्त/समुचित रास्ते की भूमि लम्बाई 64 मीटर X चौडाई 9.15 मीटर = 0.0586 हैक्टर (05.86 एयर) की भूमि वर्तमान डी0एल0सी0 दर 2763/–रूपये प्रति एयर की 2 गुणा प्रतिकर राशि जमा किये जाने पर रास्ते के रूप में दिये जाने के तहसीलदार सोजत को आदेश दिये जाते है। उक्त रास्ते की भूमि 05.86 एयर की अधिकतम डी0एल0सी दर 2763/– प्रति एयर से 2 गुणा (2763X05.86X2=32382/–रूपये) प्रतिकर राशि के रूप में राज्य मद में जमा करवाने योग्य राशि में से 29452/– रूपये पूर्व में जमा हो जाने से अवशेष राशि 2930/–रूपये की राशि निर्धारित राज्यकोष मद में जमा करवाये जावे। प्रार्थी द्वारा उक्त अवशेष राशि जमा करवाकर मूल चालान प्रस्तुत करने पर उक्त भूमि का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद /तरमीम किया जाये। उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार सोजत को तहरीर के साथ भेजी जाकर पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार में जमा हो।

26/IX/2018

(अयूब खान)
उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.

निर्णय आज दिनांक 26.09.2018 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/IX/2018

(अयूब खान)
उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner